दिनांक 09.10.12 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यशाला की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेषन डेवलमेंट सोसाईटी (SEEDS) बिहार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 09.10.2012 को जिला स्तरीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में District Consultation workshop for advancing Tobacco Control कार्याशाला का शुम्भारम्भ करते हुए जिले के सभी वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण का स्वागत किया गया। तत्पष्चात तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं **सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA - 2003** के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया गया कि जन स्वास्थ्य के हित में सार्वजानिक स्थानों पर धुम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। साथ हीं अव्यस्कों को या शैक्षणिक संस्थानों के निकट इनके बिक्री को वर्जित किया गया है एवं इनके पैकेटों पर तस्वीर के साथ स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य किया गया है। तम्बाकू या निकोटीन मिलाई गई कोई भी पदार्थ आहार सामाग्री के रूप में बनाई या बेची नहीं जा सकती है। वस्तुतः तम्बाकू किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं है। तम्बाकू, बीड़ी या सिगरेट के कारण मुँह, पेट, गले, फेफड़ा, हृदय एवं गुर्दे में कई रोगों के साथ–साथ गुटखा, खैनी, तम्बाकू, जर्दा तथा पान मसाला से खास तौर पर मुँह की कैन्सर की सम्भावना बनी रहती है।

कार्यषाला के प्रारम्भ में कार्यपालक निदेशक, सीड्स द्वारा तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को बिहार राज्य के परिपेक्ष्य में रखकर उसके हानियों के बारे में तम्बाकू सेवन के आकड़ों के माध्यम से विस्तार से बताया गया। साथ ही राज्य सलाहकार, तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी दी गई।

उक्त कार्यषाला में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. **छापामारी दस्ता का गठनः–** जिला / अनुमंडल / प्रखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करते हुए निर्देश दिया गया कि कोपटा अधिनियम का उल्लघन करने वालों को चालान के माध्यम से दंडित करने की कार्यवाई करेगें। इस संबंध में जिला नोडल पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मुंगेर समन्यव कायम कर कोटपा–2003 के तहत उपलब्ध चलान को सभी Enforcement officer को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **जिला स्तरीय छापामारी दस्ता** में आरक्षी उपाधीक्षक (मु0), जिला नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, औषधी निरीक्षक, जिला षिक्षा परियोजना पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला श्रम अधीक्षक, एवं संबंधित थानाध्यक्ष सदस्य के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक को इस दस्ता का अध्यक्ष नामित किया जाता है। साथ ही **प्रखंड स्तरीय छापामारी दस्ता** में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष सदस्य के रूप में एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है।

3. **धुम्रपान मुक्त मुंगेर जिलाः–** मुंगेर जिले को धुम्रपान से मुक्त करने के लिए सभी Enforcement officer की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया। साथ हीं राजपत्रित पदाधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी, रेलवे स्टेशन मास्टर, होटल के मैनेजर, विद्यालय के हेडमास्टर, कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षा पदाधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में कोटपा–2003 अधिनियम के धारा 4 का उल्लघन करने वाले को चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दण्डित करने की करवाई कराने का निर्देश दिया गया।

4. **तम्बाकू मुक्त षिक्षण संस्थानः–** जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए **100 गज की दूरी तक किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालो पर प्रतिबंध** लगाये जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवम फ्लैक्स लगाने का निर्देश दिया गया। फलैक्स बैनर का प्रारूप SEEDS पटना द्वारा सभी विभागों को उपलब्ध कराया गया। साथ ही जिला नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिला षिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय कायम कर जिले के सभी सरकारी–गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से **जागरूकता अभियान चलाना** सुनिश्चित करें।

5. **तम्बाकु मुक्त स्वास्थ्य केन्द्रः–** जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए सिविल सर्जन, मुंगेर को निर्देश दिया गया। साथ हीं सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य द्वार पर **''तम्बाकू निषेध क्षेत्र''** एवं **''इस परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है''** तथा OPD Slip पर **''जिन्दगी चुनो तम्बाकु नही''** छपवाना सुनिश्चित करेगें।